314

संख्या / VI/ 2016-21(23)/ 2016

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग देहरादून : दिनांक : 07 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2016

विषयः– पवैलियन ग्राउण्ड देहरादून में Tensile fabric के साथ पवैलियन शेड के निर्माण हेतु प्रेषित आगणन की वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–782/पवै0ग्रा0निर्मा0पत्रा0/2015–16/दे0दून, दिनांक 21 सितम्बर, 2016 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पवैलियन ग्राउण्ड देहरादून में Tensile fabric के साथ पवैलियन शेड के निर्माण कार्यों ₹ 173.30 लाख ***(सिविल कार्यो हेतु ₹99.68 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹73.62 लाख)*** की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रथम चरण के निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में 40% यानीकि **₹70.00 लाख (₹ सत्तर लाख मात्र)** की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायें। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–571/XXVII(1)/2010, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 के विहित शर्तो के अनुसार अगले चरण के लिए शीघ्रता से समयबद्धता के आधार पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

5– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\August 2015\finance dec 2015\g.o.docx

6– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

8– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय **चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–11–आयोजनागत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय–03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–20–पवेलियन ग्राउण्ड में निर्माण –24–वृहद निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष** के सापेक्ष नामें डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–128(P)/XXVII(3)/2016–17, दिनांक : 27 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : अलाटमेंट आई0डी0 संख्या–S161111D051 **,दिनांक :** 09 नवम्बर ~~**अक्टूबर**~~**, 2016**

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 739 **/VI/2016–21(23)/2016, तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, प्रथम इकाई, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।